अध्याय- II

लेखापरीक्षा की रुपरेखा

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखा परीक्षा का उद्देश्य का आकलन करना था कि क्याः

- प्रासंगिक नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुए अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं को पर्याप्त रूप से तैयार किया गया था;
- रोजगार के अवसरों तक निष्पक्ष पहुँच हासिल की गई तथा पर्याप्त रोजगार सृजित किया गया, जिससे परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा एवं आजीविका सुरक्षा प्राप्त हो सके;
- अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करते हुए नियमों एवं विनियमों के अनुरूप स्थाई एवं उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन एवं रखरखाव किया गया;
- अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उचित एवं पर्याप्त निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण तथा शिकायत निवारण प्रणालियाँ मौजूद थी और परिकल्पित रूप से कार्य कर रही थी।

2.2 लेखापरीक्षा का दायरा एवं कार्यप्रणाली

योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 के दौरान संचालित किया गया, जिसमें वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली में राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा निदेशक, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के कार्यालय के अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अभिलेखों की जांच तथा जनपद पंचायतों में कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के अभिलेखों का परीक्षण शामिल था। चयनित ग्राम पंचायतों में कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया था। आगम बैठक 07 अगस्त 2024 को आयुक्त, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ आयोजित किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मई 2025 में विभाग को जारी किया गया था तथा विभागीय उत्तर जुलाई 2025 में प्राप्त हुए थे। निर्गम बैठक 20 जून 2025 को आयोजित किया गया तथा विभाग के उत्तरों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया।

2.3 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखा परीक्षण मानदंडों के स्रोत निम्नलिखित थेः

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, परिचालन दिशानिर्देश, 2013 समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित तथा अधिनियम के अंतर्गत जारी नियम।

- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित)।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र, भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, निर्देश एवं दिशानिर्देश।

2.4 लेखापरीक्षा का दायरा

छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिलों में से छः जिलों (18 प्रतिशत) का चयन लेखापरीक्षा में स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति द्वारा नमूना-जांच हेतु किया गया। चयनित छः जिलों में से 12 जनपद पंचायतों तथा प्रत्येक चयनित जनपद पंचायत से चार ग्राम पंचायतों का चयन भी आकारानुपाती प्रायिकता नमूना पद्धति (बिना पुनर्स्थापन) के आधार पर नमूना-जांच हेतु किया गया। इस प्रकार, चयनित छः जिलों की 12 जनपद पंचायतों से कुल 48 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। नमूना जांच इकाइयों का विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है तथा उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के मानचित्र में **चार्ट 2.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.1: चयनित जिला, जनपद एवं गावों की सूची

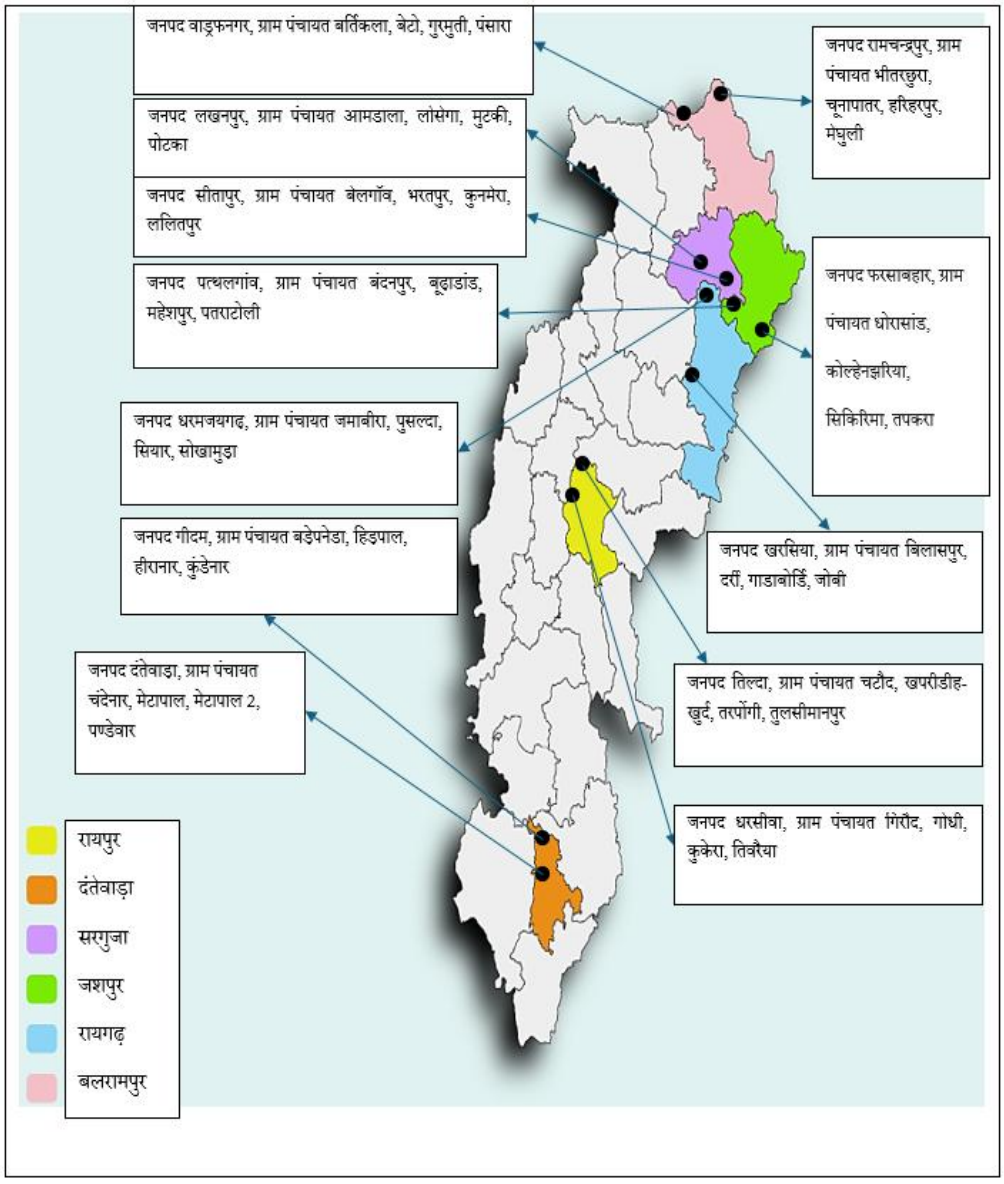

2.5 आभार

लेखापरीक्षा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आयुक्त, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सभी क्रियान्वयन इकाइयों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।